

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2154/2015

उमा शंकर उर्फ लाला बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:27.02.2015

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रशान्त कुमार अग्रवाल

श्री शान्तनू बंसल अधिवक्ता-अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से  
श्री आर एस राघव विद्वान् लोक अभियोजक- वास्ते राज्य

--

अभियुक्त-प्रार्थी ने अपनी जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन प्रस्तुत किया है। इस पर अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी व विद्वान् लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए, मैं प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणदोषों पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना उचित मानता हूं।

अतः अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त-प्रार्थी उमा शंकर उर्फ लाला पुत्र केशर लाल द्वारा रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र ) का स्वयं का बंध पत्र व रुपये 25,000/- - 25,000/- (पच्चीस- पच्चीस हजार रुपये मात्र) की दो प्रतिभूति विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि की पेश की जावे तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-843/2014 पुलिस थाना- प्रताप नगर , जयपुर से सम्बन्धित प्रकरण में इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होता रहेगा।

(न्या0 प्रशान्त कुमार अग्रवाल )

सत्यमेव जयते

अनिलशर्मा/M-51